संचिका सं०–6 एस०एस०(6)07 / 2020–3940 /

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : * आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना–15, दिनांक– 27 / 07 / 2026.

विषय– चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में सात निश्चय–3 के तहत मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना हेतु कुल ₹ 1969.83165 लाख (उन्नीस करोड़ उनहत्तर लाख तिरासी हजार एक सौ पैंसठ रु०) मात्र की लागत पर "पूरक योजना" एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या–2611, दिनांक–02.06.2025 के क्रम में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में सात निश्चय–3 के तहत मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना हेतु कुल ₹ 1969.83165 लाख (उन्नीस करोड़ उनहत्तर लाख तिरासी हजार एक सौ पैंसठ रु०) मात्र की लागत पर "पूरक योजना" एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी तथा तालाब निर्माण / भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक–I एवं II के रूप में संलग्न।

2. चतुर्थ कृषि रोड मैप (2023–2028) के कार्यान्वयन हेतु निर्गत कृषि विभाग का संकल्प सं0–12, दिनांक–13.06.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–28 में 25000 हे० चौर भूमि को विकसित करने का लक्ष्य है। ऐसे में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्ध बजट / उपबंध पर सम्यक विचारोपरान्त सात निश्चय–3 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में "मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना" के तहत 406.57 हे० जलक्षेत्र में अतिरिक्त निजी चौर भूमि को विकसित करने हेतु ₹ 1969.83165 लाख (उन्नीस करोड़ उनहत्तर लाख तिरासी हजार एक सौ पैंसठ रु०) मात्र की लागत पर "पूरक योजना" एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

3. इस योजनान्तर्गत जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों के मांग को दृष्टिपथ में रखते हुए योजना के तहत स्वीकृत

1 Typed by Sanjay Kumar

भौतिक लक्ष्य के अनुरूप निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा संबंधित जिलों को भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटित किया जाएगा।

4. इस योजना का कार्यान्वयन मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना से सम्बन्धित निर्गत राज्यादेश संख्या–2611 दिनांक–02.06.2026 में निहित शर्त एवं प्रावधान के आलोक में किया जाएगा।

5. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे एवं कार्य की प्रगति के संबंध में उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र के माध्यम से मासिक प्रतिवेदन मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

6. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में संचित कर व्यय किया जाएगा।

7. योजनान्तर्गत स्वीकृति राशि के अन्तर्गत निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

8. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक 05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. वित्तीय वर्ष 2026–27 बजट शीर्ष एवं बजट की उपलब्धता –

(क) इस योजना के तहत अन्य वर्ग के लाभुक के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि का विकलन मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101–अंतर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0119 –मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–3, विपत्र कोड 02–2405001010119 के विषय शीर्ष–0119.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(ख) इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के लाभुक के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि का विकलन मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0104 –मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–3, विपत्र कोड 02–2405007890104 के विषय शीर्ष–0104.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(ग) इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के लाभुक के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि का विकलन मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष–0112 –मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–3, विपत्र कोड

02–2405007960112 के विषय शीर्ष–0112.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

10. यह स्कीम एक चालू स्कीम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना के स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका–6 एस०एस०(6)07/2020 के पृष्ठ–163/टि० एवं दिनांक–14.07.2026.

11. विभागीय संकल्प–1464, दिनांक–29.05.2019 का अनुपालन निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

12. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)07/2020 के पृष्ठ संख्या–162/टि० डायरी क्रमांक–447, दिनांक–02.07.2026.

13. इस स्कीम के तहत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

(कुमार अमित)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)07/2020–3940/पटना–15, दिनांक–27/07/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:–6 एस०एस०(6)07/2020–3940/पटना–15, दिनांक–27/07/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:–6 एस०एस०(6)07/2020–3940/पटना–15, दिनांक–27/07/2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य/संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/संबधित उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)07 / 2020–3940 /पटना–15, दिनांक–27 / 07 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)07 / 2020–3940 /पटना–15, दिनांक–27 / 07 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा / योजना शाखा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)07 / 2020–3940 / पटना–15, दिनांक–27 / 07 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी / विभागीय योजना शाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)07 / 2020–3940 /पटना–15, दिनांक–27 / 07 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / माननीय वित्त मंत्री / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

4 Typed by Sanjay Kumar

अनुलग्नक–I

वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, के तहत अनुदानित दर पर निजी क्षेत्र में सात निश्चय–3 के तहत "मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना" की "पूरक योजना" का भौतिक एवं अनुमानित वित्तीय व्यय एवं विपत्रों के निकासी हेतु प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र०	योजना का नाम	उप शीर्ष	विषय शीर्ष	लक्ष्य (हे०)	व्यय हेतु स्वीकृत राशि (लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नाम	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना	लघु शीर्ष–101 –अंतर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0119 –मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–3, विपत्र कोड 02–2405001010119.	0119.33.01 –सब्सिडी	250.03	1211.39535	निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना / जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (संबंधित)	कोषागार (संबंधित) बिहार
		लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0104 –मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–3, विपत्र कोड 02–2405007890104.	0104.33.01 –सब्सिडी	148.29	718.46505		
		लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष–0112 –मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–3, विपत्र कोड 02–2405007960112.	0112.33.01 –सब्सिडी	8.25	39.97125		
			कुल :–	**406.57**	**1969.83165**		

(उन्नीस करोड़ उनहत्तर लाख तिरासी हजार एक सौ पैंसठ रु०) मात्र।

3940
27/07/26

सरकार के संयुक्त सचिव

5 Typed by Sanjay Kumar

अनुलग्नक–II

वित्तीय वर्ष 2026–27 में सात निश्चय–3 के तहत "मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना" के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी।

(रकवा–हेक्टेयर में तथा राशि–लाख में)

निजी चौर इनपुट सहित (हे0 में) इकाई लागत 9.69 लाख/हे0
(लाभुक आधारित)

क्र0	इकाई लागत प्रति हे0	अनुदान प्रतिशत	अन्य वर्ग के लाभुक (अनुदान 50 प्रतिशत)			अनुसूचित जाति वर्ग के लाभुक (अनुदान 50 प्रतिशत)			अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभुक (अनुदान 50 प्रतिशत)			कुल		
			रकवा (हे0)	राशि	अनुदान राशि	रकवा (हे0)	राशि	अनुदान राशि	रकवा (हे0)	राशि	अनुदान राशि	रकवा (हे0)	राशि	अनुदान राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	9.69	50	250.03000	2422.79070	1211.39535	148.29000	1436.93010	718.46505	8.25000	79.94250	39.97125	406.57000	3939.66330	1969.83165

नोट :– इस योजनान्तर्गत उद्यमी आधारित वांछित दस्तावेज सहित पूर्ण आवेदन–पत्र प्राप्त होने की स्थिति में 100 हे0 कुल लक्ष्य से परिवर्तन योग्य होगा तथा निर्धारित इकाई लागत का 40 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में अनुमान्य होगा।

सरकार के संयुक्त सचिव

3940
27/07/26